

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील संख्या 55/2022
बअनवान भगवानाराम वगै. बनाम सरदार वगै.

नम्बर व तारीख
अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस
आदेश

दिनांक 26.07.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्‍नोई
2. रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।


अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद विचाराधीन हैं। हस्तगत अपील में टेनेबल नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण

अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मूल वाद के निस्तारण पर ही रंगव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलाटगण हस्तागत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चारोजोही करे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलाटगण के पक्ष में नहीं होकर रैपॉर्टेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलाटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलाटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व आवेदन संख्या 59/2023 बअनवान सरदार वगैरह बनाम भगवानाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति कै लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 26.07.2023 को सुनाया गया।


(प्रतिष्ठा पीप्लानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर